रजिस्ट्री सं० डी० (डी०) 72

REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 1979/फाल्गुन 28, 1900
No. 69] NEW DELHI MONDAY, MARCH 19, 1979/PHALGUNA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या–18–आईटीसी (पीएन)/79

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1979

विषय : रेलवे के लिए आईडीए क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस।

[फा० सं० आइ पी सी-39/4/76].—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या-6-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 12-1-1976 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार रेलवे के लिए आई डी-ए क्रेडिट संख्या–162–आई-एन, 280–आई एन, 448 आई एन और 582–आई एन के अन्तर्गत रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा यथा सूचित विदेशी मुद्रा रिहाइयों/अर्द्धनों के अनुसार जारी किए जाएंगें/प्रदान किए जाएगे।

2. रेलवे ने 190 मिलियन डालर के बराबर यह क्रेडिट 844–आई एन प्राप्त कर लिया है। नए आई डी ए क्रेडिट–844–आई एन के अन्तर्गत जो योजनाएं वित्तयुक्त की जाएंगी वे इस प्रकार है—

श्रेणी	वित्तयुक्त किए जाने वाले खर्च का प्रतिशत
(1) (क) यंत्र और मशीनरी	विदेशी खर्चों का 100 प्रतिशत और स्थानीय खर्चों का 100 प्रतिशत (कारखाने से बाहर)
(ख) एकक विनिमय सिस्टम के लिए संघटक	विदेशी खर्चों का 100 प्रतिशत
(2) येलहानका संयंत्र के लिए संयंत्र, मशीनरी और सामान	विदेशी खर्चों का 100 प्रतिशत और स्थानीय खर्चों का 100 प्रतिशत (कारखाने से बाहर)।
(3) येलहानका संयंत्र के लिए प्रोप्राइटरि मदें	विदेशी खर्चों का 100 प्रतिशत।
(4) व्हील, टायर, एक्सल और व्हील सेट	विदेशी खर्चों का 100 प्रतिशत।
(5) विकास सहायता	
(क) थाइरिस्टर कन्ट्रोल ट्रान्सफर्मर सेट	विदेशी खर्चों का 100 प्रतिशत।
(ख) उत्पाद सुधार के लिए उपकरण और संघटक	विदेशी खर्चों का 100 प्रतिशत और स्थानीय खर्चों का 100 प्रतिशत (कारखाने से बाहर)।
(ग) तकनीकी परामर्श सेवाएं और स्टाफ प्रशिक्षण	100 प्रतिशत।

3. उपर्युक्त योजनाओं के एक भाग के रूप में नए आई डी ए क्रेडिट में से यदि कोई हो तो निम्नलिखित मदों के आयात के संबंध में पिछले आई डी ए क्रेडिट के अन्तर्गत पहले से जारी किए गए आयात लाइसेंसों के मद्दे शेष भुगतान के लिए वित्तदान किया जाएगा :—

(क) व्यापक/सीमित निविदा आधार पर डीजल और इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव के रखरखाव के लिए फालतू पुर्जे।

(ख) व्यापक निविदा आधार पर व्हील, व्हील सेट, टायर और एक्सल्स।

(ग) व्यापक/सीमित निविदा आधार पर वर्कशाप के आधुनिकीकरण के लिए संयंत्र और मशीनरी।

उपर्युक्त मदों के संबंध में व्यापक या सीमित निविदा आधार से भिन्न के लिए दी गई संविदाओं का वित्तदान भी यदि संविदा का मूल्य 1,00,000 डालर या इससे कम हो तो 5 मिलियन डालर के बराबर उच्चतम सीमा के भीतर इस क्रेडिट से किया जाएगा।

4. वे सभी अन्य मदें जिन के लिए पहले से ही आयात लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं किन्तु भुगतान पूर्ण नहीं किए गए है उन्हें वित्तदान के अन्य स्रोतों की ओर अपवर्तित किया जा रहा है। पहले से ही जारी किए गए आयात लाइसेंसों में उपयुक्त संशोधन आहरित करने वाले रेलवे/रेलवे उत्पादन एककों द्वारा आवेदन करने पर किए जाएंगे।

5. नए आई डी ए क्रेडिट 844–आई एन के संबंध में भी अब तक की भांति विदेशी मुद्रा रिहाइयां और उनके वर्द्धन समय-समय पर रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा क्रेडिट की शर्तों और उसकी उपलब्धता को ध्यान में रख कर सूचित किये जाते रहेंगे। आयात लाइसेंस रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा यथा सूचित विदेशी मुद्रा रिहाइयों/वर्द्धन के अनुसार जारी/प्रदान किए जाएंगे और लाइसेंसों की वैधता का माप दंड जैसा भी मामला हो वह तिथि होगी जिस तिथि तक विदेशी मुद्रा रिहाई उपलब्ध कर ली गई है या बढ़ा दी गई है।

6. कंडिका 2 से इस बात का पता लग जाएगा कि नए आई डी ए क्रेडिट 844 आई एन में आई डी ए द्वारा वित्तदान के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है:—

(1) ऐसी परियोजनाएं जिन के लिए 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा खर्चे आई डी ए द्वारा वित्तदान किए जाएंगे; और

(2) ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा खर्चे और 100 प्रतिशत स्थानीय खर्चे (कारखाने से बाहर) आई डी ए द्वारा वित्तदान किए जाएंगे।

7. संभरकों को भुगतान के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त 6 (2) के अन्तर्गत परियोजना को दो उप-वर्गों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है :—

(क) विदेशी संभरकों के लिए दी गई संविदाओं के माध्यम से प्राप्ति।

(ख) भारतीय संभरकों के लिए दी गई संविदाओं के माध्यम से प्राप्ति।

8. ऊपर 6 (1) के अन्तर्गत दी गई योजनाओं के संबंध में आयात लाइसेंस के अनुबंध विदेशी मुद्रा संघटकों के भुगतान के लिए नीचे उल्लिखित तीन प्रक्रियाओं में से एक का पालन किया जाएगा :—

(1) मामला 1—प्रतिपूर्ति प्रक्रिया :

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान प्रारम्भिक रूप से अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत सामान्य बैंक मूलों के माध्यम से या साख पत्र के प्रति या अन्य प्रकार से, जो भी ठेके के संबंध में देय हो, विदेशी संभरकों को माल के मूल उत्पत्ति के देश की मुद्रा में किया जाता है और आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति में निहित किया जाता है ऐसे प्रेषण के पन्द्रह दिनों के भीतर लाइसेंसधारी आई डी ए से प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपर निदेशक, वित्त (आई एण्ड एफ) रेलवे बोर्ड रेल भवन, नई दिल्ली को भेजेगा :—

(क) बीजक

(ख) लदान बिल या वायुयान बिल

(ग) विदेशी संभरकों को धन परेषण को प्रदर्शित करते हुए बैंकर का प्रमाण-पत्र

(घ) संविदा की प्रति

जैसे ही आयात लाइसेंस के मदें विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण किया जाता है विदेशी मुद्रा का वह प्राधिकृत व्यापारी जिसके जरिये धन प्रेषण की व्यवस्था की गई है भी बीजक, लदान बिल और भुगतानों के प्रमाणपत्र निदेशक, वित्त (आई एण्ड एफ) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को भेजेगा।

(2) मामला 3—सीधी भुगतान प्रक्रिया :

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत, भारत से विदेशी मुद्रा में प्रेषण अनुमेय नहीं है। इसलिए इस भुगतान प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई साख-पत्र नहीं खोला जा सकता। जहां कहीं देय हो, विदेशी संभरक को भुगतान करने के लिए, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबद्ध रेलवे, उत्पादन यूनिट आदि के संबद्ध प्राधिकृत लेखा अधिकारी द्वारा एक भुगतान प्राधिकारपत्र अपर निदेशक, वित्त (आई एण्ड एफ) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को भेजा जाएगा जो बदले में विदेशी संभरकों को सीधे भुगतान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ व्यवस्था करेगा।

जहाज पर निःशुल्क पोतलदान के मामले में जहां महासागरीय भाड़े का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में किया जाता है, विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी यह वर्णित हुए आवश्यक भाड़ा प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि आयात लाइसेंस में राशि निहित की गई है।

(3) मामला 6—धन प्रतिपूर्ति के लिए आई डी ए के विशेष समझौते :

इस प्रक्रिया के अनुसार, आई डी ए साख-पत्र के अधीन प्रबंधक बैंकों द्वारा किए गए भुगतानों की प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें विशेष समझौता-पत्र देगा। बैंकों द्वारा साख-पत्र खोलने और बातचीत करने के लिए रेल मंत्रालय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिये किए गए निवेदन पर ही आई डी ए प्रतिपूर्ति के लिए विशेष समझौता पत्र देगा।

9. ऊपर पैरा 5 में जो कहा गया है उसे देखते हुए पोतलदान और भुगतान के लिए जहां भुगतान प्रक्रिया निर्धारित मामला-1—प्रतिपूर्ति प्रक्रिया हो और ऊपर पैरा 8 (1) में यथा उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज भेजे गए हों, वहां विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र खोलेगा/वृद्धि करेगा।

10. ऊपर मद 7 (क) के प्रति संविदाओं के अन्तर्गत भुगतान के लिए ऊपर पैरा 8 में उल्लिखित भुगतान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा सिवाए इसके कि भारतीय जहाजों में पोतलदानों के मामले में महासागरीय भाड़े की प्रतिपूर्ति भी आई डी ए द्वारा की जाएगी।

11. ऊपर मद 7 (ख) के प्रति संविदा के अन्तर्गत भुगतान सामान्य बैंक प्रणाली या साख-पत्र या अन्यथा रूप से जैसा भी संविदानुसार देय हो, के माध्यम से केवल भारतीय रुपए में किया जाएगा। ऐसे भुगतान के 15 दिनों के भीतर खरीदार आई डी ए से प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपर निदेशक, वित्त (आई एण्ड एफ) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को भेजेगा :—

(क) बीजक

(ख) बैंकर के भुगतान का प्रमाण-पत्र

(ग) संविदा की प्रति

संविदाकार को जिस बैंक के जरिये भुगतान किया जाएगा वह भी अपर निदेशक वित्त (आई एण्ड एफ) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को बीजक और भुगतान प्रमाण-पत्र की प्रति भेजेगा।

12. पोतलदान के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि होगी :—

(1) जहां भारत से इतर वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश से संबद्ध जहाज पर लागत और भाड़ा के आधार पर पोतलदान किया जाता है, वहां महासागरीय भाड़ा पहले ही चुकाया जाना चाहिए। यदि पोतलदान भारतीय जहाज द्वारा किया गया हो तो बीजक केवल जहाज पर्यन्त निःशुल्क आधार पर होना चाहिए और भारत में निर्धारित स्थान पर भारतीय रुपए में भाड़ा दिया जाना चाहिए।

(2) जहाज पर्यन्त नि.शुल्क पोतलदान के मामले में, जहां महासागरीय भाड़े का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाता है, वहां किसी भी जहाज द्वारा पोतलदान करने, जिसमें भारतीय या गैर-सदस्य देशों के जहाज भी शामिल है, पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों और स्विटजरलैण्ड के संभरकों को दी गई संविदाओं के प्रति लागत और भाड़े के आधार पर पोतलदान वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश से इतर देश के जहाज पर किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा।

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 18 ITC(PN)/79

New Delhi, the 19th March, 1979

Subject: Import licences issued under the IDA Credit or Railways.

[F.No.IPC/39/4/76].—Attention is invited to paras 1 and 2 of the Ministry of Commerce, Public Notice No. 6-ITC(PN)/76, dated 12-1-1976 according to which the import licences under IDA Credits for Railways Nos. 162-IN, 280-IN, 448-IN and 582-IN could be issued/extended in accordance with the foreign exchange releases/extensions as conveyed by the Ministry of Railways (Railway Board).

2. The Railways have obtained the Credit 844-IN for $ 190 million equivalent. The schemes which will be financed under the new IDA Credit 844-IN are as follows:—

Category	Percentage of expenditure to be financed
(1) Workshop Modernisation:	
(a) Plant and machinery	100% of foreign expenditures and 100% of local expenditures (ex-factory)
(b) Components for unit exchange system.	100% of foreign expenditures.
(2) Plant, machinery and materials for the Yelahanka Plant.	100% of foreign expenditure and 100% of local expenditures 9 (ex-factory).
(3) Proprietory items for the Yelahanka Plant.	100% of foreign expenditures
(4) Wheels, tyres, axles and wheelsets.	100% of foreign expenditures
(5) Development Support:	
(a) Thyristor Control Transformer sets.	100% by foreign expenditures.
(b) Equipment and components for product improvement.	100% of foreign expenditures and 100% of local expenditures (ex-factory).
(c) Technical Advisory services and staff trainlng.	100%

3. As part of the above schemes, the new IDA Credit will finance the balance payment, if any, against the import licences already issued under the previous IDA Credits in respect of the import of the following items:—

(a) Spares for the maintenance of diesel and electric locomotives on global/limited tender basis.

(b) Wheels, wheelsets, tyres and axles on global tender basis.

(c) Plant and Machinery for modernisation of Workshops on global/limited tender basis.

The credit will also finance contracts placed on other than global or limited tender basis in respect of the above items if the value of the contract is $ 1,00,000 or less, within the ceiling of $ 5 million equivalent.

4. All other items for which import licences have already been issued but payments have not been completed are being diverted to other sources of financing. Suitable amendments in the import licences already issued will be made on request by the importing Railways/Railway Production Units.

5. As regards the new IDA Credit 844-IN also, foreign exchange releases and their extension from time to time will continue to be conveyed by the Ministry of Railways (Railway Board) as hitherto, having regard to the conditions of credit and its availability. The import licences will be issued/extended in accordance with such foreign exchange releases/extensions as conveyed by the Ministry of Railways (Railway Board), the criterion for the validity of the licences being the date upto which the foreign exchange release has been made available or extended, as the case may be.

6. It will be seen from para 2 that the new IDA Credit 844-IN, the Projects have been divided into two groups by the IDA for the purpose of financing as under:—

(i) Projects for which 100% foreign exchange expenditure will be financed by the IDA; and

(ii) Projects for which 100% foreign exchange expenditure and 100% local expenditure (ex-factory) will be financed by the IDA.

7. For the purpose of payment to the Suppliers, Project under Item 6(ii) above are divided into two sub-groups as under:—

(a) Procurement through contracts placed on foreign suppliers.

(b) Procurement through contracts placed on Indian Suppliers.

8. For payment of foreign exchange component which is stipulated in the import licence in respect of schemes under 6(i) above, one of the three following procedures shall be followed:—

(i) Case I—Reimbursements Procedure:

Under this procedure, the payment is initially made to otherwise specified, in the currency of the country of origin of goods to the foreign suppliers through normal banking channel or against letter of credit or otherwise, as may be contractually due and is marked off in the exchange control copy of the Import Licence. Within fifteen days of such remittance, the licencee shall forward to the Additional Director, Finance (L&F), Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi, following documents for claiming reimbursement from IDA:—

(a) Invoice.

(b) Bill of lading or Airway bill.

(c) Banker's certificate showing remittance to foreign suppliers.

(d) Copy of contract.

The authorised dealer in foreign exchange, through whom the remittance is arranged, shall also send a copy of the Invoice.

Bill of lading and certificate of payments to the Additional Director, Finance (L&F), Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi, as soon as a remittance in foreign exchange is made against the Import Licence.

(ii) Case III—Direct Payment Procedure:—

Under this procedure, no remittance in foreign exchange from India is permitted. Therefore, no letter of credit can be opened under this payment procedure. For making payments to foreign suppliers where due, a payment authority in accordance with the procedure prescribed by the Ministry of Railway (Railway Board) from time to time, shall be sent by the authorised Accounts Officer of the concerned Railways, Production Unit etc. to the Additional Director, Finance (L&F), Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi, who will in turn arrange with International Development Association for making the payment directly to the foreign suppliers.

In case of f.o.b shipments, where payment of ocean freight is made in Indian rupees in India, the authorised dealers in foreign exchange shall issue necessary freight certificate indicating that the amount has been marked off in the Import Licence.

(iii) Case VI—Qualified Agreement of IDA to Reimburse:

According to this procedure, IDA will give a qualified agreement to reimburse the negotiating bank for payments made by them under a letter of credit. This qualified agreement to reimburse shall be given by the IDA, only on a request made throughthe authorised representatives of the Ministry of Railways, by the Banks opening and negotiating the letter of credit.

9. In view of what has been stated in para 5 above, opening/extension of letter of credit shall be done by the authorised dealer in foreign exchange upto the period of validity of the Import Licence for shipments and payments, where the payment procedure prescribed in Case I—Reimbursement Procedure, and the requisite documents forwarded as stated in para 8(i) above.

10. For payment under contracts against item 7(a) above, payment procedure as outlined in para 8 will be followed except that ocean freight in respect of shipments made in Indian vessels will also be reimbursed by the IDA.

11. Payments under contracts against item 7(b) above shall be made in Indian rupees only through normal banking channels or letter of credit or otherwise as may be contractually due. Within fifteen days of such payment, the purchaser shall forward to the Additional Director, Finance (L&F), Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi, the following documents for claiming reimbursement from IDA:

(a) Invoice.

(b) Banker's certificate of payment.

(c) Copy of contract.

The bank, through which the payment is made to the contractor shall also supply a copy of invoice and certificate of payment to the Additional Director, Finance (L&F), Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi.

12. Procedure for shipment will be as follows:—

(i) Where the shipment is made on C&F basis on vessels belonging to a member country of the World Bank other than India, the ocean freight should be prepaid. If the shipment is made by an Indian vessel, the invoice should be drawn on f.o.b basis only, and the freight paid in Indian rupees at the destination in India.

(ii) In case of f.o.b shipments, where payment of ocean freight is made in Indian rupees, there is no objection to shipments being made by any vessel including Indian or non-member country vessels.

(iii) Shipment on C&F basis, against contracts placed on suppliers belonging to member countries of World Bank and Switzerland, shall in no case be made by a vessel belonging to a non-member country of the World Bank.

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Export

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979